कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

—:: सार्वजनिक सूचना ::—

क्रमांक / 1005 / भू–अर्जन / भूक्रनी / 2018 राजनांदगांव, दिनांक 04 / 02 / 2019

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 के तहत चिचोला–छुरिया–कल्लूबंजारी से महाराष्ट्र बार्डर मार्ग के निर्माण / उन्नयन / विकास कार्य हेतु ग्राम कल्लूबंजारी, प.ह.नं. 25, रा.नि.मं. व तहसील छुरिया, जिला–राजनांदगांव के निम्नलिखित भू–धारकों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण प्रबंध संचालक, छ.ग.रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है :—

क्र	भू–धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.मे.)	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (वर्ग मी0 में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
1	हुकुमचंद पिता बीरूराम जाति मरार	256/4	0.028	72.00	सड़क से 20 मीटर तक
2	नेतराम पिता बृजलाल जाति मरार	364/4	0.004	40.00	–"–
	महायोग —	02	0.032	112.00	

उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के विषय में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वतः अथवा अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से आधार सहित मेरे समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

कलेक्टर,
जिला–राजनांदगांव

पृ0क्रमांक / 1005 / भू–अर्जन / भूक्रनी / 2018 राजनांदगांव, दिनांक 04 / 02 / 2019

प्रतिलिपि :—

1— प्रभारी अधिकारी, जिला नाजिर शाखा, जिला कार्यालय राजनांदगांव को कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु अग्रेषित।

2— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगांव को सूचनार्थ अग्रेषित।

3— तहसीलदार, छुरिया को 06 प्रतियों के साथ अग्रेषित। कृपया उपरोक्त सार्वजनिक सूचना दो गवाहों के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, डोंगरगांव, तहसील कार्यालय छुरिया तथा संबंधित ग्राम पंचायत– कल्लूबंजारी के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करावें, तथा शेष एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

4— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को उपरोक्त सार्वजनिक सूचना जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

5— आवेदक विभाग प्रबंध संचालक, छ.ग.रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन्स, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया उक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर, समाचार पत्र की दो–दो प्रतियॉ इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर,
जिला–राजनांदगांव

Scanned by CamScanner